सत्यमेव जयते

राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
श्रावण 23, सोमवार, *शाके* 1945-अगस्त 14, 2023 *Sravana 23, Monday , Saka 1945- August 14, 2023*	

भाग-1(ख)

महत्वपूर्ण सरकारी आज्ञायें।

सार्वजनिक निर्माण विभाग, जयपुर

अधिसूचना

जयपुर, अगस्त 03, 2023

(अन्तर्गत भूमि अर्जन, पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 4 (1))

संख्या 4441518 :-राजस्थान के राज्यपाल द्वारा भूमि अर्जन, पुर्नवासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 के तहत राजस्थान भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार नियम 2016 के प्रावधानुसार एवं राजस्थान सरकार के राजस्व (ग्रुप-6) विभाग के निर्देशानुसार **Consultancy Services for Construction of 2 Lane ROB at LC 68 IR Km 98/3-4 in leiu on Hindon-Kathumar road (SH-22) in Dist. Alwar (Raj) Between Kherli-Chidarua Railway Station on Agra-BKL Railway Section in the State of Rajasthan accordance with the Rajasthan as per RFCTLARR (Rajasthan Right to fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilition and Resettlement Rule.) rules 2016** के अधीन सार्वजनिक प्रयोजनार्थ तहसील कठूमर] जिला- अलवर में निम्नानुसार प्रभावित गांवों में भूमि अर्जन किया जाना प्रस्तावित है।

क्र.सं.	जिला	तहसील	गांव	सक्षम प्राधिकारी एवं भूमि अवाप्ति अधिकारी
1	अलवर	कठूमर	खेरली	उपखण्ड अधिकारी, कठूमर

अतः राज्य सरकार उक्त अधिनियम की धारा 4 की उप-धारा (1) के अधीन उक्त भूमि के सामाजिक समाघात निर्धारण के अध्ययन हेतु नियमानुसार सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा उक्त प्रस्तावित ROB के लिए भूमि अवाप्ति ग्राम खेड़ली] तहसील कठूमर] जिला अलवर का चयन किया जाना है।

उपरोक्त चयनित संस्था द्वारा परियोजना हेतु प्रस्तावित भू-अर्जन से प्रभावित गाँवों में सामाजिक समाघात निर्धारण राजस्थान भूमि अर्जन, पुर्नवासन और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार नियम, 2016 के प्रावधानुसार किया जायेगा। सामाजिक समाघात निर्धारण की प्रक्रिया निम्नानुसार होगाः

1. संस्था द्वारा परियोजना हेतु प्रस्तावित भू-अर्जन से प्रभावित व्यक्तियों का विवरण तैयार कर सामाजिक समाघात निर्धारण की प्रारूप रिपोर्ट तैयार की जावेगी।
2. प्रारूप रिपोर्ट की प्रति प्रभावित गाँवों में समुचित स्थान पर प्रदर्षित की जावेगी। तत्पश्चात् प्रभावित गांवों में पर्याप्त प्रचार-प्रसार के उपरान्त जनसुनवाई की जावेगी, जिसका कार्यवाही विवरण समुचित रूप से रिकॉर्ड किया जायेगा।

3. जन-सुनवाई के दौरान आए सुझावों/आपत्तियों के समुचित समाघात को शामिल कर सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट एवं सामाजिक समाघात प्रबंधन योजना रिपोर्ट तैयार की जावेगी।
4. सामाजिक समाघात निर्धारण की प्रक्रिया प्रभावित गांवों में संबधित पंचायत/नगरपालिका के परामर्श से की जावेगी।
5. सामाजिक समाघात मूल्यांकन के दौरान किसी भी प्रकार के बल प्रयोग या धमकी का प्रयत्न इस कवायद को अछूत और शून्य बना देगा।
6. सामाजिक समाघात निर्धारण प्रक्रिया को इस अधिसूचना की तिथि से प्रारंभ किया जायेगा एवं अधिकतम 4 माह की अवधि में सम्पूर्ण करवाया जाना आवश्यक है।

सम्पर्क सूत्रः-
सामाजिक समाघात निर्धारण ईकाई
कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता
सार्वजनिक निर्माण विभाग, खण्ड कठूमर,
जिला-अलवर

सामाजिक समाघात निर्धारण एजेन्सी
सार्वजनिक निर्माण विभाग] खण्ड कठूमर
मनोज श्रीवास्तव
मोबाईल 9414366892
अधिशाषी अभियन्ता
सार्वजनिक निर्माण विभाग, खण्ड कठूमर,
जिला-अलवर

सुनील गुप्ता,
संयुक्त सचिव (पथ),
सार्वजनिक निर्माण विभाग राजस्थान, जयपुर।

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।